संख्या- 572/1-10-2014-12(53)/13

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पीलीभीत।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक : 18 जुलाई, 2014

विषय -वर्ष 2013 में आयी बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु अवशेष धनराशि का राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पीलीभीत में वर्ष 2013 में आयी बाढ/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु शासनादेश संख्या-66/1-10-2014-12(53)/13, दिनांक 31.01.2014 द्वारा जिला स्तरीय आपदा राहत समिति से अनुमोदित सिंचाई विभाग के 08 कार्यों की मरम्मत हेतु रू0 1,67,48,500/- की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की गयी थी। अद्योत्तर जनपद पीलीभीत में वर्ष 2013 में आयी बाढ/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु शासनादेश संख्या-190/1-10-2014-12(53)/13, दिनांक 26.02.2014 द्वारा मण्डल स्तरीय आपदा राहत समिति से अनुमोदित सिंचाई विभाग के 16 कार्यों की मरम्मत हेतु रू0 7,90,92,000/- की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की गयी थी। इस सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या-264(1)/दै0आ0लि0-14, दिनांक 18.06.2014 में किए गए अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए बाढ़ खण्ड पूरनपुर पीलीभीत के उपरोक्त 24 कार्यों की मरम्मत हेतु रू0 9,58,40,500/- (कुल रूपये नौ करोड़ अट्ठावन लाख चालीस हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| बाढ़ खण्ड पूरनपुर। | क्र0सं0 | कार्य का नाम | द्वितीय किश्त हेतु दी जाने वाली धनराशि (लाख रू0 में) |
|---|---|---|---|
| | 1 | जनपद पीलीभीत में शारदा नदी के बायें किनारे पर स्थित स्पर सं0–09 के अपस्ट्रीम में धर्मपुरी एवं टीला नं0–4 आदि ग्रामों की बाढ़ सुरक्षा हेतु पूर्व निर्मित/क्षतिग्रस्त 02 अदद कटर्स की पुनर्स्थापना का कार्य। | 22.34 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2 | शारदा नदी के बायें किनारे पर स्थित ग्राम अयोध्यानगर, भरतपुर आदि ग्रामों की बाढ़ सुरक्षा योजना के अन्तर्गत निर्मित 12 में से 03 अदद स्परों/कटाव निरोधक कार्यों की पुनर्स्थापना का कार्य। | 23.7 |
| | 3 | शारदा नदी के बायें किनारे पर स्थित ग्राम अशोक नगर, लक्ष्मण नगर आदि ग्रामों की बाढ़ सुरक्षा योजना के अन्तर्गत निर्मित 16 में से 03 अदद स्परों/कटाव निरोधक कार्यों की पुनर्स्थापना का कार्य। | 19.485 |
| | 4 | शारदा नदी के दायें किनारे पर स्थित ग्राम नौजुल्हा में निर्मित स्परों/कटाव निरोधक कार्यों की पुनर्स्थापना का कार्य। | 22.50 |
| | 5 | शारदा नदी के दायें किनारे पर स्थित ग्राम नौजुल्हा व कुतियाकवर नं0–2 में क्षतिग्रस्त 04 अदद ई0सी0 बैग कटर्स/कटाव निरोधक कार्यों की सुरक्षात्मक पुनर्स्थापना का कार्य। | 13.50 |
| | 6 | शारदा नदी के दायें किनारे पर स्थित ग्राम रमनापुर, बुझिया, घुरियापलिया में बने स्परों/ कटाव निरोधक कार्यों की सुरक्षात्मक पुनर्स्थापना का कार्य। | 20.00 |
| | 7 | देवहा नदी के बायें किनारे पर स्थित ग्राम पुरनापुर में क्षतिग्रस्त प्राइमरी स्कूल/ कटाव निरोधक कार्यों की सुरक्षात्मक पुनर्स्थापना हेतु जी0ई0ओ0 बैग द्वारा बैंक पिचिंग व एप्रन की पुनर्स्थापना का कार्य। | 21.715 |
| | 8 | शारदा नदी के दायें किनारे पर स्थित ग्राम गभिया सहराई के निकट सनेढ़ी तटबन्ध पर पूर्व निर्मित स्पर संख्या–17 एवं 18 के अपस्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में क्षतिग्रस्त एप्रन की पुनर्स्थापना क कार्य। | 24.185 |
| | | योग | 167.485 |

| क0सं0 | कार्य का नाम | द्वितीय किश्त हेतु दी जाने वाली धनराशि (लाख रू0 में) |
|---|---|---|
| 1 | नदी के वायें तट पर ग्राम राघवपुरी, बैल्हा में पूर्व निर्मित/क्षतिग्रस्त 20 अदद स्परों की पुर्नस्थापना कार्य। | 40.00 |
| 2 | शारदा नदी के बायें किनारें पर ग्राम हजारा, शास्त्रीनगर आदि ग्रामों की बाढ़ सुरक्षा योजना हेतु निर्मित 23 में से क्षतिग्रस्त 05 अदद स्परों/कटाव निरोधक कार्यों की पुर्नस्थापना कार्य। | 44.40 |
| 3 | शारदा नदी के बायें किनारें पर स्थित ग्राम हजारा, शास्त्रीनगर भुरजनियां एवं खजुरिया आदि ग्रामों की बाढ़ सुरक्षा हेतु निर्मित 14 में से तीन अदद स्परों/कटाव निरोधक कार्यों की पुर्नस्थापना कार्य। | 40.02 |

REST DHANAWANTAN 2014 275

| | | |
|---|---|---|
| 4 | शारदा नदी के बाये किनारें पर स्थित ग्राम श्रीनगर कबीरगंज आदि ग्रामों की बाढ़ सुरक्षा हेतु निर्मित 10 कटर्स/कटाव निरोधक कार्यों की पुर्नस्थापना एवं सुतिया नाला के मुहाने को बन्द करने का कार्य। | 52.50 |
| 5 | शारदा नदी के दायें किनारें पर स्थित ग्राम नौजल्हा व कुतियाकवर में बने 9 में से 3 अदद स्परों/कटाव निरोधक कार्यो की पुर्नस्थापना कार्य। | 42.50 |
| 6 | शारदा नदी के दायें किनारें पर स्थित सनेढ़ी तटबन्ध के विभिन्न स्परों/कटाव निरोधक कार्य की पुर्नस्थाप्ना का कार्य। | 45.00 |
| 7 | शारदा नदी के दायें किनारें पर स्थित मार्जिनल तटबन्ध के विभिन्न स्परों/कटाव निरोधक कार्य की पुर्नस्थापना का कार्य। | 35.00 |
| 8 | शारदा नदी के दायें किनारे पर स्थित मार्जिनल बन्ध के मिटटी के तटबन्ध को अतिवृष्टि एवं क्षतिग्रस्त तटबन्ध के पुर्नस्थापना का कार्य। | 30.00 |
| 9 | शारदा नदी के दायें किनारें पर स्थित ग्राम कुतिया कबर में पूर्व निर्मित 12 अदद स्परों/कटाव निरोधक कार्यों हेतु ई0सी0 बैग से टाप व स्लोप पर सुरक्षात्मक पुर्नस्थापना का कार्य। | 45.00 |
| 10 | कटना नदी के बायें किनारे पर स्थित मानपुर पुल(बीसलपुर से विलसण्डा मार्ग पर) क्षतिग्रस्त बैंक के पुर्नस्थापना का कार्य। | 34.00 |
| 11 | कैलाश नदी के दायें किनारे पर स्थित ग्राम उडरा मे क्षतिग्रस्त परक्यूपाइन स्थल स्पिल नं0–02 के स्थान पर 300 मीटर बैंक पिचिंग एवं एप्रन की पुर्नस्थापना का कार्य। | 31.00 |
| 12 | खकरा नदी के दायें किनारे पर पीलीभीत शहर में लॉ कालेज के समीप क्षतिग्रस्त बोल्डर/कटाव निरोधक कार्यों की पुर्नस्थापना हेतु जी0ई0ओ0 बैग द्वारा बैंक पिचिंग एवं एप्रन की पुर्नस्थापना का कार्य। | 31.00 |
| 13 | जनपद पीलीभीत में शारदा नदी के बायें किनारें पर स्थित ग्राम राघवपुरी, धर्मपुरी एवं चम्मनपुर भगीरथ आदि ग्रामों की बाढ़ सुरक्षा योजना के अन्तर्गत निर्मित क्षतिग्रस्त 07 नं0 स्परों में से 06 नं0 स्परों की जी0ई0ओ0 बैग से पुर्नस्थापना का कार्य। | 95.00 |
| 14 | शारदा नदी के बायें किनारें पर स्थित ग्राम सिद्धनगर गौटियाटिब्बा एवं ऐतिहासिक गुरुद्वारा आदि की बाढ़ सुरक्षा हेतु निर्मित बांध की पुर्नस्थापना का कार्य। | 90.00 |
| 15 | देवहा नदी के बायें किनारे पर स्थित ग्राम भगा मोहम्मदगंज में क्षतिग्रस्त 03 अदद बोल्डर स्पर की पुर्नस्थापना का कार्य। | 51.00 |
| 16 | देवहा नदी के बायें किनारे पर स्थित ग्राम भगा मोहम्मदगंज में क्षतिग्रस्त 03 अदद बोल्डर स्पर की | 84.50 |

| | | |
|---|---|---|
| | पुर्नस्थापना का कार्य। | |
| | योग रू0 | 790.92 |
| | महायोग | 958.405 |

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3- बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जाँच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश संख्या-2660/1-10-2012-रा0-10-33(171)/2012, दिनांक 25-10-2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का ही धनावंटन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि आवंटन की प्रक्रिया/मार्ग निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-70/1-10-2014-33(94)/2014, दिनांक 23.01.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराते हुये विषयगत मामले/सन्दर्भित कार्यों के बारे में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। यह धनराशि इस शर्त के साथ आवंटित की जा रही है कि उक्त कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश दिनांक 23.01.2014 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का व्यय शा0प0सं0-78/पीएसआर/2012, दिनांक 24-01-2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-एनडीएम-1, दिनांक 16-01-2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश संख्या 2785/1-10-2011-12(73)/2008, दिनांक 14-10-2011 के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013, दिनांक 21-06-2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मदों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 01-03-2013 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

5- बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाये। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि

विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

6- उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

7- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है । यह स्थिति उचित नहीं है । निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है । अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है । अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20-06-2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट **एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन** पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04-03-2013 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा । शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2015 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये ।

9- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

10- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-572(1)/1-10-2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- आयुक्त, बरेली मण्डल बरेली ।

5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।

6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।

7- उप निदेशक, (सामान्य) एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।

8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, उ0प्र0।

9- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पीलीभीत ।

10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5

11- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।

12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

( मदन मोहन )

अनु सचिव।